RAJYA SABHA

Monday, the 25th February, 1991 the 6th Phalguna 1912 (Saka)

The House met at leven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

Re. bombardment on Islamic Shrines of Karbala by America

श्री सैयद सिब्ते रज़ी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, करबला के अंदर इस्लामिक श्राइन्स पर बम्बार्डमेंट अमरीका ने शुरू कर दी है। वहां पर जो पवित्र स्थान है उस पर भी बमबारी हो रही है/... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : यह क्वीश्चन आवर हो जाए, उसके बाद आप उठा लीजिए। इसके लिए स्पैशल मैंशन आप दे दीजिए।

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : हम बहुत दुखी हैं कि वहां पर बम से हमला हो रहा है, सिविलियन एरियाज़ पर बार्म्बिग हो रही है और सोवियत यूनियन, इंडिया, चाइना आदि तमाम देशों के प्रयासों के बावजूद लैंड की लड़ाई शुरू हो गई है। बहुत से लोग इताहत हो रहे हैं और हम लोगों के दिल दुखे हुए हैं। सारे श्राइन्स पर बम गिराए जा रहे हैं ... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): सारे इस्लाम पर हमला हो रहा है।

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : करबला में जो हज़रत अब्बास की दरगाह पर भी बम गिराया गया है, यह सारे हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया के लोगों के लिए दुःख की बात है। यह इंसानियत के खिलाफ है... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : मैं आपको क्वश्चिन आवर के बाद स्पैशल मैंशन दे दूंगा।

---

†सभा में यह प्रश्न डा० रत्नाकर पाण्डेय द्वारा पूछा गया।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पैंसीलिन जी/वी का आयात

***21. डा० रत्नाकर पाण्डेय :†**
चौधरी राम सेवक :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान पैंसीलिन जी/वी के आयात के संबंध में क्या नीति थी;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आयात के लिये वर्षवार किन-किन कंपनियों के नामों की सिफारिश की गई थी;

(ग) इन में से प्रत्येक कम्पनी को कितनी मात्रा के लिए आयात-लाइसेंस मिला था और उसका क्या मूल्य था;

(घ) क्या यह सच है कि इन आयातों को स्वदेश निर्मित सामग्री को बिक्री हेतु उठाने के साथ जोड़ा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने स्वदेश निर्मित सामग्री नहीं उठाई?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (घ) वर्ष 1987 88 के दौरान कंम्पनियों के लिए पहले स्वदेशी माल को उठाना और तब 60 (आयातित) : 40 (स्वदेशी) के अनुपात में आयात के लिए आवेदन करना अपेक्षित था। 1988-89 में पेनसिलिन-जी के नियमित प्रयोग करने वालों को अग्रिम आयात की अनुमति दी गई थी जिसकी शर्त यह थी कि वे 70 (आयातित) : 30 (स्वदेशी) के अनुपात में बाद में स्वदेशी माल उठायेंगे। नए एककों और ऐसे एकक जो विदेशी माल को नियमित रूप से नहीं उठा रहे थे, को विदेशी माल उठाने के आधार पर आयात लाइसेंस दिए गए थे। 1989-90 में इसी नीति का अनुसरण किया गया था।

(ख) जानकारी विवरण-1 में दी गई है।

(ग) इस प्रकार दिए गए लाइसेंसों के ब्यौरे "आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों और औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किए जाते हैं। इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) जानकारी विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

क्रम सं० 1987-88	क्रम सं० 1988-89	क्रम सं० 1989-90
1. मे. मुक्स इंडिया	1. अरमोर केमिकल्स	1. मेक्स इंडिया
2. गुजरात लायका	2. केडिला लैब्स	2. गुजरात लायक
3. केफ़ान	3. कंकर्ड	3. केफ़ाम क्लोरगेनिक्स
4. टिनी फ़ार्मा	4. अगिपी	4. टिनी फ़ार्मा
5. टीटीके फार्मा	5. केप्रान	5. टीटीके फ़ार्मा
6. अगिपी	6. गुजरात लायका	6. अगिपी केमिकल्स
7 अरमोर केमिकल्स	7 टीटीके फ़ार्मा	7 अरमोर केमिकल्स
8 केडिला लैब्से	8 टीनी फ़ार्मा	8 केडिला लुब्स
9 केप्रान केमिकल्स	9. मक्स इंडियश	9. लुपिन लुब्स (7 एडीसीए)
10. लुपिन लैब्स	10. केफ़ान आर्गेनिक्स	10. केप्रान केमिकल्स
11. जगसनपाल	11. लुपिन लैब्स	11. कंकर्ड
12. आई० डी०पी०एल०	12. रैनबैक्सी	12. रैनबैक्सी
	13. डूफ़र इन्टरफ़ेरान	13. मोरेपान
	14. वेलकम लैब्स	14. लावे डे
	15. बेन्जैक्स लैब्स (अवडा. रेड्डी लैब्स)	15. वेन्जैक्स लैब्स
	16. लावंडे फ़ार्मास्युटिकल्स	16. डूफ़र
	17. लायका लैब्स	17. वेलकम
	18. मोरेपान	18. अरविन्दों
	19. दक्षिण फ़ार्मा	19. निर्मल ड्रग्स
	20. केफ़ान लैब्स	20. स्केणोमोक्स
	21. सोल	21. सोल
	22. निर्मल ड्रग्स	22. केफ़ाल लैब्स
	23. अरविन्दों फ़ार्मा	23. लायका लब्स
	24. स्केनोमोक्स	24. रिलिकिड्रया
	25. जगसनपाल	25. लपिन (सिफ़ड्रोक्सिल, मोनोहाइड्रेट तथा सेफीडाइन के लिए)
		26. मोगेन्स इंडिया
		27. एस एण्ड एसफार्मास्युटिकल्स
		28. गुजरात लायका (7-ए डीसीए)
		29. फेनमेन्टो फार्मा
		30. अबनेर फार्मास्युटिकल्स
		31. एलेम्बिक केमिकल्स
		32. फार्मा. केमि.
		33. जगसनपाल

विवरण—2

उन कंपनियों के नाम जिन्होंने स्वदेशी माल पेनिसिलन-जी को नहीं उठाया था।

कंपनी का नाम	वास्तव में स्वीकृत आयात (एम एम यू में)	उठाई जाने वाली स्वदेशी सामग्री की शेष मात्रा (एम एम यू में)
1. मे. एलेम्बिक	25	5.69
2. मे. वेलकम लेब्स	10.50	3.259
3. मे. लाडन्डे	11.09	1.957
4. मे. केफ़ान लेब्स	30.608	8.175
5. मे. जगसनपाल	35	15
6. मे. केनोमेक्स	10.50	3.994
7. मे. फ़ार्माक्विस	40.0	17.41

पेनिसिलिन-बी

1987-89 में० जगसनपाल फार्मास्युटिकल लि० की 75 एम एम यू पेनिसिलिन-बी का आयात करने की सिफारिश की गयी थी और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार इस कम्पनी ने तदनुरूपी स्वदेशी माल, जब भी यह देश में उपलब्ध हो, को उठाना था।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में केवल दो कंपनियां भारत सरकार की हैं—आई.डी.पी.एल. और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, जो पेनिसिलीन का निर्माण करती हैं और जैसा मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि घरेलू पेनिसिलीन के दाम 6.5 लाख/एम.एम.यू. हैं और आयातित पेनिसिलीन के दाम 3.5 लाख/एम.एम०यू० हैं। सन 1989-90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उसने अनेक दवा कंपनियों की इकाइयों को पेनिसिलीन का एडवांस इम्पोर्ट करने की इजाजत दी इस शर्त पर कि वह सरकारी कारखानों से 30 प्रतिशत माल खरीदेंगे और 70 प्रतिशत पेनिसिलीन आयात कर ली जाएगी खुलेआम आयात नीति का उल्लंघन करके उस सरकार के अनेक व्यावसायियों को सारे नियमों को ताक पर रखकर फायदा पहुंचाया, जिसका उल्लेख मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में नाम देकर किया है। सरकारी नीति तो 60 प्रतिशत इम्पोर्ट और 40 प्रतिशत देशी पेनिसिलीन के प्रयोग की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कम्पनियों ने, 89-90 में जो पेंसीलिन जी के एडवांस इम्पोर्ट करने की इजाजत दी गयी थी, उसके आयात से पहले स्वदेशी निर्मित सामग्री को बिक्री हेतु उठाने की शर्त का पालन किया या नहीं? इन कम्पनियों का नाम तो आपने बता दिया लेकिन जो अनुचित लाभ इन्होंने कमाया, दस करोड़ रुपये का घोटाला इन्होंने किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार ने उद्योग मंत्रालय के चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की कोई सिफारिश की है कि इसकी जांच की जाए और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, यह चीज जब सरकार की जानकारी में आयी तो मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात को इन कम्पनियों के विरुद्ध आयात-निर्यात कानून के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। क्योंकि यह स्पष्ट था कि जो आयात

के लाइसेंस की शर्तें थीं उनका उल्लंघन किया गया था।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: उसका क्या परिणाम हुआ? कोई रिपोर्ट आपके पास है? यदि है तो क्या वह रिपोर्ट आप सदन के सामने रखेंगे? इसमें घोटाला पिछली सरकार ने किया है इस पर कोई इंक्वायरी बैठायेंगे?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय सभापति जी, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात इस मामले की जांच करवा रहे हैं। हमारे विभाग की ओर से एक मीटिंग हुई वहां के अधिकारियों के साथ तो उसमें भी इस बात पर जोर डाला गया है कि जल्दी अपनी जांच पूरी करके इसकी जानकारी करायें।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो देश में निर्मित करने वाले सरकारी कारखानें पेंसीलिन के थे उनके द्वारा वहां से माल न उठाने के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ है? और उपभोक्ताओं को कितनी कीमत ज्यादा देनी पड़ी है? पेंसीलिन आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है? इन सारी बातों को, इसके तथ्य और सत्य आपकी सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि पिछली सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया तो आपकी सरकार अगर स्वच्छ छवि की सरकार है जो हमारे समर्थन पर टिकी हुई है तो क्या आपकी सरकार सिद्ध करने को तैयार है कि पिछली सरकार ने दवा के मामलें में और पेंसीलिन के मामले में सारे नियमों को तोड़ कर भ्रष्टाचार किया? आपकी सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश न करके जांच बैठाने को तैयार है? (**व्यवधान**)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Can anybody level allegations during the Question Hour? And it is going on record.

MR. CHAIRMAN: You were also doing the same thing.

SHRI S. JAIPAL REDDY: We never did that.

MR. CHAIRMAN: Don't tell me. I have been judging all the time during Question Hour. होना नहीं चाहिये। I agree with you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय सभापति जी, मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी कम्पनी ने कानून का उल्लंघन किया होगा उसके खिलाफ कानून के अन्तर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी और किसी को बख्शा नहीं जायेगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: कब तक?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: बहुत जल्दी।

डा० बापू कालदाते: जब तक आपका समर्थन रहेगा तब तक।

चौधरी राम सेवक: सभापति जी, कुछ साल पहले स्वर्गीय बिशम्भर दयाल त्रिपाठी जो लोक सभा के मैम्बर थे उनको पेंसीलिन का इंजेक्शन देने से, उनकी तुरन्त मृत्यु हो गयी। उसके बाद यह कहा गया था कि पेंसीलिन का यूज दिल्ली के अस्पतालों में बंद कर दिया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पेंसीलिन के इंजेक्शन का यूज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बंद किया हुआ है? इसके अलावा प्राइवेट होस्पीटल्स में भी इसका यूज हो रहा है या नहीं? इसके अलावा I would like to know from the hon. Minister the price of Penicillin G taken for determining the price of six A.P.A., which is the intermediate for antibiotics. What was the price of indigenous and imported material per unit when the exports were recommended to these units and how much such companies were benefited from lifting the indigenous material? What are the reasons for such high price of indigenous materials and what steps have been taken to reduce the price of Penicillin G?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: There are so many supplementaries in this.

श्री सभापति : रिपीटिशन बहुत सा है इसलिए थोड़ा सा बता दीजिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जहां तक पेंसिलीन के इंजेक्शन की दवा को बेन करने का सवाल है वह तो इस्तेमाल हो रही है। और यह सही है कि बहुत वर्ष पहले उन्नाव के श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी जी थे जिनकी मत्यु हो गई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक कई वर्ष बीत चुके हैं, इसको बैन नहीं किया गया है।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, वैसे मैं काफी एक तरह से चिन्तित भी हूं और डिमोरेलाइज भी हूं..... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : डिमोरेलाइज मत होइये।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं आपको बता रहा हूं। आप सुन ही रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। पैटेंट ला में परिवर्तन हो जाएगा तो पता नहीं इन कम्पनियों का क्या हाल होगा क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सकेगा और मंत्री जी भी नहीं रोक सकेंगे। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि जब सरकार के सामने स्पष्ट है कि सरकार का जो आदेश था उसके 1/4 और 1/3 से भी कम उन लोगों ने माल उठाया तो जब तक फाइनल इंक्वायरी नहीं हो जाती है तब तक आप उनको ससपेन्ड क्यों नहीं करते हैं क्योंकि प्राइमाफेसी यह बात इस्टेब्लिश है? आप इतना काम तो कर सकते हैं। दूसरी इस संबंध में हमारे फारन एक्सजेंज की जो स्क्वेंडरिंग हुई है, लूट हुई है और इस तरह की लूट हर विभाग में है, उसके संबंध में हम लोग कुछ कहते हैं तो हम से कहा जाता है कि आप लोग तो लिबरेलाइजेशन के एगेंस्ट हैं और इसलिए ऐसी बात बोलते हैं, इस तरह की स्क्वेंडरिंग इस मामले में हुई है, हर विभाग में होती है, इसकी कोई जांच भी आप करते हैं या नहीं? देश मोर्टगेज हो रहा है, बन्धक हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री सभापति : वे पेंसीलिन से संबंधित प्रश्नों का जवाब देंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : इसलिए मैंने डिमोरेलाइज शब्द का प्रयोग किया था। हम सवाल पुछेंगे तो आप कहेंगे कि यह मत पूछिये। सब सवाल प्रधान मंत्री के पास जा नहीं सकते हैं। इनको कलेक्टिव रिस्पोंसिविलिटी से बताना चाहिए। देश बन्धक पड़ने वाला है। आई.एम.एफ. से एक लौन मिल चुका है और दूसरे के लिए दरखास्त दी जा रही है। इसलिए जब देश बन्धक पड़ रहा है तो मालवीय जी को कम से कम लायसेंस को ससपेंड तो करना चाहिए जब तक कि फाइनल इंक्वायरी नहीं हो जाती है? सभी नेता यहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए आप बताइये कि जो यह स्क्वेंडरिंग हुई है आप उनको ससपेंड क्यों नहीं करते हैं? आप में यह क्षमता है या नहीं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, पेंसीलीन की नीति के अन्तर्गत 1990-91 में किसी भी डिफाल्टर कम्पनी को आयात का लायसेंस नहीं दिया गया है। श्री चतुरानन जी ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और आवश्यकता होगी तो लायसेंस भी कैंसिल किया जाएगा.... **(व्यवधान)**। मैंने बताया है कि अब लायसेंस नहीं दे रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : जब प्राइमा फेसी केस है तो आप लायसेंस क्यों नहीं करते हैं? सभापति जी, आप कहते हैं कि डिमोरेलाइज मत होइये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने स्पष्ट जानकारी दी है कि उनको इस सिलसिले में कोई माल नहीं दिया जा रहा है। जहां तक ससपेन्ड करने का सवाल है, प्रिंसिपल आफ नेचुरल जस्टिस

भी कुछ होता है और जब आवश्यकता होगी तो ससपेन्ड भी कर दिया जाएगा।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति जी, आप ही बताइये कि आप कहते हैं आप डिमोरेलाइज क्यों होते हैं

श्री सभापति : मनुष्य को कभी भी डिमोरेलाइज नहीं होना चाहिए। आप तो चतुरानन हैं, आप डिमोरेलाइज होंगे तो हद हो जाएगी।

श्री चतुरानन मिश्र : एक बार तो आप उनसे कहिये।

श्री सभापति : उन्होंने जवाब दे दिया है कि देखने के बाद अगर ससपेंड करने की जरूरत होगी तो वह भी कर देंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : जब प्राइमा फेसी केस है तो ससपेंड करने में क्या दिक्कत है?

श्री राम अवधेश सिंह : इस मामले में तो प्राइमा फेसी केस है, इसलिये फौरन ससपेंड कर देना चाहिए।

श्री सभापति : उन्होंने अपनी राय दे दी है।

श्री चतुरानन मिश्र : कैंसिल करने के लिए तो इंक्वायरी की जाती है, लेकिन अगर प्राइमा फेसी केस है तो मालवीय जी ससपेंड क्यों नहीं करते हैं? इस कुर्सी की भी जांच करनी चाहिए, इसके भीतर तो कुछ नहीं है?

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, Penicillin is a very valuable anti-biotic extremely dangerous to those who are allergic to it. I am myself allergic to Penicillin Mrs. Salve, who is a doctor, once injected Penicillin to me... (*Interruptions*)... and nearly killed me. Unfortunately I survived Sir.

MR. CHAIRMAN: It is your allergic reaction.

SHRI A. G. KULARNI: Mr. Salve, how do you dare to criticise Mrs. Salve?

SHRI P. SHIV SHANKER: Sir, I object. She is not here to answer him. He has no business to criticise her.

SHRI A. G. KULKARNI: Mrs. Salve is not present here to reply.

MR. CHAIRMAN: Did she inject to him?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Salve is surviving with an allergy.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, he used the word 'unfortunately'. The unfortunate word should be removed.

MR. CHAIRMAN: I also protest. The House would have been a great loser.

SHRI N. K. P. SALVE: I am grateful to you. The question is this. What are the precautions being taken to ensure that Penicillin which is a life-saving drug does not become one of the greatest killers? A Member of this House died as a result of an injection given. Is it the responsibility of your Ministry oh any other Ministry? Would appropriate steps be initiated to ensure that Penicillin does not become a killer drug? He has told us that serious action is being taken for the contravention of the relevant laws and rules. But he has not clarified as to which is the mechanism. Is his Ministry doing it or is it the Home Ministry? Which Ministry is doing

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: So far as the inquiry is concerned, it is being investigated by the Commerce Ministry.

MR. CHAIRMAN: The licensing is with them.

DR. BAPU KALDATE: Most dangerous Ministry.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: It is headed by our friend.

DR. BAPU KALDATE: And your colleague.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: So far as the use of Penicillin in hospitals is concerned, it is the concern of the Health Ministry.

MR. CHAIRMAN: Question No. 22.

झेलम मेडिकल कालेज, श्रीनगर के छात्रों का दाखिला

***22. श्री शब्बीर अहमद सलारिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर के एक गैर-सरकारी मेडिकल कालेज अर्थात् झेलम मेडिकल कालेज के छात्रों को, जिन्हें असामान्य स्थिति के कारण घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, देश के अन्य मेडिकल कालेजों में दाखिला दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरे क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री और उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दसई चौधरी): (क) से (ग) झेलम वैली, मेडिकल कालेज, श्रीनगर के छात्रों के इस राज्य से बाहर किसी अन्य मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण के प्रश्न पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है। लेकिन, चूंकि यह मेडिकल कालेज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इस कालेज के छात्रों का स्थानान्तरण अनुमत्य नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नियमों में केवल एक मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से दूसरे मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण की व्यवस्था है।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Sir, I submit that the reply given is one of desperation and helplessness. The point is that it is admitted that the Jhelum Medical College was functioning there. It is admitted that students were there and that they had not been able to pursue their studies there on account of the circumstances prevailing there. These students have to be accommodated somewhere, in public interest. Their career is in danger. But a reply is given that the rules of the Medical Council of India do not permit the admission of students from a non-recognised or private medical college in another medical college. I would ask whether the rules are not amendable. Has the Government moved the Medical Council of India for amending the rules, to ameliorate the lot of those students who have been affected? Can't a camp college be started in Jammu itself where these students can be admitted for the time being? Then, has the Government taken any step to provide protection to the students in the medical college at Jhelum? This desperate reply of helplessness will not do.

MR. CHAIRMAN: You had been an advocate yourself. The recognition of the Medical Council of India is absolutely essential for both Government and non-Government colleges. And if we permit non-recognised colleges and their studets to migrate from one place to another, then the whole recognition of your medical degrees will be in jeopardy in the whole world. *(Interruptions)*.